

प्रेस नोट दिनांक 3.3.2021 थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज

बरामदगी 32 शीशी अवैध देशी शराब व गिरफ्तार 01 नफर अभियुक्त

आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रयागराज द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब बनाने / विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही पर प्रभावी नियंत्रण करने व गिरोह को पकड़ने व बरामदगी के लिये लगातार निर्देश दिये जा रहे हैं। अतः निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक यमुनापार के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मेजा महोदय के पर्यवेक्षण में प्र०नि० चन्द्रभान सिंह के नेतृत्व में उ०नि० सच्चिदानन्द यादव हमराह का० अखिलेश यादव द्वारा अभि० महेन्द्र कुमार पाल पुत्र राजबली पाल नि० ग्राम कुकरहटा थाना कोरांव प्रयागराज उम्र 26 वर्ष को ग्राम पथरताल पुलिसिया के पास से समय 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 32 शीशी अवैध देशी शराब बरामद किया गया। उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

महेन्द्र कुमार पाल पुत्र राजबली पाल नि० ग्राम कुकरहटा थाना कोरांव प्रयागराज उम्र 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०= 81/2021, धारा- 60 EX ACT, थाना कोरांव प्रयागराज ।

बरामदगी- 32 शीशी अवैध देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० सच्चिदानन्द
2. अखिलेश यादव

प्रभारी निरीक्षक
थाना कोरांव प्रयागराज



प्रेस नोट थाना झूंसी जनपद प्रयागराज दि०- 03.03.2021

1.230 किग्रा० नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार



श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रयागराज के दिशा निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.03.2021 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गंगापार महोदय के पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर पंचम महोदय के निर्देशन में मुद्द प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में उ०नि० मनोज कुमार, उ०नि० सौरभ सिंह व उ०नि० अरविन्द कनीजिया द्वारा घमण करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे में 1.230 किग्रा० नाजायज गांजा बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

(1) दीपू कुमार निषाद पुत्र स्व० कैलाश निषाद, निवासी ग्राम बक्शी खुर्द सरैया, थाना दारागंज, जनपद प्रयागराज।

विवरण अपराध -

मु०अ०मं० - 97/2021 धारा- 8/20 NDPS ACT. थाना झूंसी, प्रयागराज।

दिनांक घटना - 03.03.2021 समय 15.00 बजे

दिनांक सूचना- 03.03.2021 समय 16.55 बजे

बरामदगी का विवरण-

(1) 1.230 किग्रा० नाजायज गांजा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. उ०नि० मनोज कुमार, थाना झूंसी प्रयागराज
2. उ०नि० सौरभ सिंह, थाना झूंसी प्रयागराज
3. उ०नि० अरविन्द कुमार कनीजिया, थाना झूंसी, प्रयागराज
4. हे०का० संजय सिंह, थाना झूंसी प्रयागराज
5. हे०का० असलम खां, थाना झूंसी प्रयागराज।



अभि० दीपू कुमार निषाद

**प्रभारी निरीक्षक
थाना झूंसी जनपद प्रयागराज।**

प्रेस नोट

दहेज हत्या के आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद प्रयागराज, श्रीमान पुलिस अधीक्षक गंगापार महोदय, श्रीमान क्षेत्राधिकारी सोरांव महोदय प्रयागराज के निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी में क्षेत्र में मामू था। दिनांक 02.03.2021 को गुलाब पुत्र श्री हरी लाल ग्राम ताजुद्दीनपुर पो0 व थाना धरवाई जनपद प्रयागराज द्वारा तहरीर दी गयी कि खुद की पुत्री कंचन उर्फ कंचना उम्र 20 वर्ष की शादी 25 जून 2020 रिकू सरोज पुत्र राधेराम सरोज निवासी लाला का पुरा थाना होलागढ प्रयागराज के साथ हुई थी जिसे पति व ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर मार डाला है जिस पर मु0अ0सं0 52/2021 धारा 498ए/304बी IPC व 3/4 D.P. Act पंजीकृत हुआ आज मुखबिर की सूचना पर संसारिया तिराहा के पास से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रिकू सरोज पुत्र राधेराम सरोज 2. राधेराम पुत्र स्व0 सुम्मारी 3. गीता देवी पत्नी राधेराम निवासीगण लाला का पुरा थाना होलागढ प्रयागराज से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तारी टीम -

प्रभारी निरीक्षक तारकेश्वर राय-थाना होलागढ प्रयागराज

उ0नि0 रवीन्द्रनाथ यादव थाना होलागढ प्रयागराज

का0 जयप्रकाश वर्मा थाना होलागढ प्रयागराज

का0 देशराज थाना होलागढ प्रयागराज

म0का0 ज्योति कटियार थाना होलागढ प्रयागराज

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. रिकू सरोज पुत्र राधेराम सरोज निवासी लाला का पुरा थाना होलागढ प्रयागराज उम्र 23 वर्ष

2. राधेराम पुत्र स्व0 सुम्मारी निवासी लाला का पुरा थाना होलागढ प्रयागराज उम्र 52 वर्ष

3. गीता देवी पत्नी राधेराम निवासी लाला का पुरा थाना होलागढ प्रयागराज उम्र 48 वर्ष

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 52/2021 धारा 498ए/304बी IPC व 3/4 D.P. Act

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-

संसारिया तिराहा के पास थाना होलागढ प्रयागराज दिनांक 03.03.2021 समय 13.15



प्रेस नोट थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज

आज दिनांक 03.03.2021 को श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद प्रयागराज महोदय श्री सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा वांछित/वारन्टी की गिरफ्तारी व मिशन शक्ति (महिला) के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गंगापार महोदय श्री धवल जायसवाल के निर्देशन व श्रीमान् पुलिस अधीक्षक अपराध महोदय श्री आशुतोष मिश्रा के मार्गदर्शन व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय श्री राम सागर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक फूलपुर राज किशोर के नेतृत्व में 30नि0 श्री अभयशंकर उपाध्याय मय हमराह हे0का0 कन्हैया लाल, का0 देवेश कुमार द्वारा मु0अ0सं0 11/2021 धारा 363/366/376 भा.द.सं. व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त मनीष कुमार यादव पुत्र अनिल यादव निवासी ग्राम उदगी, थाना फूलपुर, प्रयागराज को आज दिनांक 03.03.2021 समय करीब 6.00 बजे सुबह बरना तिराहे से गिरफ्तार किया गया , जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.01.2021 को वादी मुकदमा रोहित कुमार यादव पुत्र ताराविमल यादव निवासी ग्राम उदगी थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज द्वारा एक किता तहरीर दी गयी कि उसका सगा बहनोई मनीष कुमार यादव पुत्र अनिल यादव निवासी ग्राम उदगी, थाना फूलपुर, प्रयागराज उम्र 26 वर्ष उसकी सगी बहन कुमारी प्रशिता यादव उम्र 14 वर्ष को शादी का झांसा देकर भगा ले गया, उपरोक्त सूचना पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई तो दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि मनीष कुमार यादव एक फर्जी यूट्यूब का पत्रकार है , जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है । अपने कुछ फर्जी पत्रकार साथियों के साथ पत्रकारिता कर समाज में धूस जमाता है , जिसका चाल चलन व आम शोहरत ठीक नहीं है । मनीष कुमार यादव उपरोक्त अपने गांव उदगी में ही सगे पड़ोसी की नाबालिग लड़की प्रतिभा यादव पुत्री ताराविमल यादव निवासी ग्राम उदगी थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज से 08 वर्ष पहले भगा ले गया था । बाद में लड़की के बयान के आधार पर सुलह समझौता कर शादी कर लिया था , जिसके वर्तमान में एक बच्ची भी है । मनीष कुमार यादव उपरोक्त पुनः 08 वर्ष पहले वाली घटना को दोहराते हुये अपनी ही सगी साली कुमारी प्रशिता यादव पुत्री ताराविमल यादव निवासी ग्राम उदगी थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज जो प्रतिभा यादव की छोटी सगी बहन है, को बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ बलात्कार किया । उपरोक्त घटना की गम्भीरता को देखते हुये सर्विलांश व मुखबिर की सूचना पर पीड़िता/अपहता कुमारी प्रशिता यादव को दिनांक 27.02.2021 को रेलवे स्टेशन फूलपुर से बरामद किया गया । पीड़िता का 161 सीआरपीसी का बयान , वीडियो ग्राफी बयान व डाक्टरी परीक्षण व माननीय न्यायालय के समक्ष 164 सीआरपीसी का बयान अंकित कराया गया । दौरान विवेचना 376 भा.द.सं. व 3/4 पाक्सो एक्ट की धारा की बढोत्तरी कर वांछित अभियुक्त को अथक प्रयास करते हुए मनीष कुमार यादव पुत्र अनिल यादव निवासी ग्राम उदगी, थाना फूलपुर, प्रयागराज उम्र 26 वर्ष को बरना तिराहे से समय करीब 6.00 बजे गिरफ्तार किया गया , जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ।

श्यामा जनपद - प्रयागराज लालापुर





प्रेस नोट दिनांक 03.03.2021



थाना शंकरगढ़ प्रयागराज

“मिशन शक्ति” के तहत ग्राम भड़िवार की अपहृता सकुशल बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के निर्देशन में जनपद में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत पुलिस अधीक्षक यमुनापार व क्षेत्राधिकारी बारा श्री अजीत कुमार रजक के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष शंकरगढ़ राजेश उपाध्याय व उनकी पुलिस टीम द्वारा ग्राम भड़िवार से दिनांक 27.01.2021 की अपहृता को आज शिकराजपुर चौराहे से सकुशल बरामद किया गया आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.01.2021 को वादी सुग्रीव आदिवासी पुत्र स्व० रामखेलावन निवासी ग्राम भड़िवार थाना शंकरगढ़ प्रयागराज द्वारा लिखित तहरीर पर अभियुक्त पूणेन्द्र वर्मा पुत्र उदय राज वर्मा निवासी ग्राम भड़िवार थाना शंकरगढ़ प्रयागराज के विरुद्ध खुद की पुत्री के अपहरण के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 26/2021 धारा 366 भा०दं०सं० व 3(2)v एससीएसटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था, जिसे आज सकुशल बरामद कर लिया गया है । विवरण निम्नवत है ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 26/2021 धारा 366 भा०दं०सं० व 3(2)v एससीएसटी एक्ट थाना शंकरगढ़ प्रयागराज ।

बरामद करने वाली टीम:-

1. SO श्री राजेश उपाध्याय थाना शंकरगढ़ प्रयागराज ।
2. कां० जयकरन व म०कां० स्रेहलता पाल थाना शंकरगढ़ प्रयागराज ।

प्रेस नोट

थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज दिनांक 03-03-2021

हत्या की फर्जी सूचना देने वाला गिरफ्तार

दिनांक 01.01.2021 को समय करीब 09.01 बजे रात्रि को जरिये आरटी सैट ROIP द्वारा बताया गया कि कालर मो0 9335718376 द्वारा सूचना दी गयी कि ग्राम भानेमऊ चौराहा के पास लडाईं झगडा हुआ है जिसमें 02 लोगों की मृत्यु हो गयी है इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक महोदय मय उ0नि0 आशीष कुमार सिंह तथा सेकेण्ड मोबाइल पर लगे कर्मचारीगणो के मौके पर पहुँचकर ग्राम प्रधान भानेमऊ व आस-पास के अन्य व्यक्तियों से घटना के संबंध में जानकारी की गयी तो पाया गया कि वहां पर इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नही हुयी है तथा उपरोक्त मोबाइल नं0 के धारक द्वारा दी गयी सूचना पूर्ण रूप से असत्य पायी गयी। तथा कालर की तलाश की गयी तो मौके पर मौजूद नही मिला। आज दिनांक 03.03.2021 को थाना स्थानीय पर नियुक्त उ0नि0 आशीष कुमार सिंह मय हमराह कर्मचारीगणों द्वारा फर्जी सूचना देने वाले मो0 9335718376 के धारक रामसागर उर्फ कालिया मिस्त्री पुत्र स्व0 रामदुलार नि0 तेजपुर थाना मऊआइमा प्रयागराज को गिरफ्तार कर चालान अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रामसागर उर्फ कालिया मिस्त्री पुत्र स्व0 रामदुलार नि0 तेजपुर थाना मऊआइमा प्रयागराज उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 आशीष कुमार सिंह मय हमराह कर्मचारीगण थाना मऊआइमा प्रयागराज।



थाना मऊआइमा
जनपद प्रयागराज



प्रेस नोट

दिनांक 02.03.2021


धाना करैली पुलिस द्वारा एक नफर बभियुक्त मय 40 लीटर अवैध देशी शराब के गिरफ्तार

मेरे द्वारा जनपद प्रयागराज में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक अपराध, क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम व धाना प्रभारी करैली के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब की बरामदगी की चेकिंग के क्रम में आज दिनांक 02.03.2021 को धाना क्षेत्र करैली में करैली पुलिस द्वारा डाही नुमाया मोड़ बिमीना मोड़ के पास समय 13.40 बजे एक नफर अभियुक्त गंगा भारतीया S/O स्व० साहू भारतीया R/O करैहवा P/S करैली जनपद -प्रयागराज उम्र 41 वर्ष गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 20 - 20 लीटर की 02 पिपिया से कुल 40 लीटर अवैध देशी शराब नाजायज बरामद व कोई वैध प्रपत्र न दिखा सकने के कारण धाना हाजा पर मु०अ०सं० 70/ 2021 धारा 60 आवकारी अधि० पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारगुहा बभियुक्त का नाम-

गंगा भारतीया S/O स्व० साहू भारतीया R/O करैहवा P/S करैली जनपद -प्रयागराज उम्र 41 वर्ष बरामदगी

20 - 20 लीटर की 02 पिपिया से कुल 40 लीटर अवैध देशी शराब नाजायज

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	नाम बभियुक्त	फोटो
1.	70/2021	60 आवकारी अधि०	गंगा भारतीया S/O स्व० साहू भारतीया R/O करैहवा P/S करैली जनपद - प्रयागराज उम्र 41 वर्ष	

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० रितेश कुमार सिंह
2. का० चन्द्रभूषण सिंह
3. का० मनीष यादव
4. का० रामविलाम चौहान

**(पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक)
जनपद प्रयागराज**